मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

//विज्ञापन//

क्रमांक : 1306 / परीक्षा / 2022 जबलपुर, दिनाँक– 02 / 12 / 2022

म0प्र0 उच्च न्यायालय में Junior Judicial Assistant के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन वर्ष–2022

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि :	03 / 12 / 2022 (12.00 PM)
आवेदन करने की अंतिम तिथि :	23 / 12 / 2022 (11.55 PM)
आवेदन में त्रुटि सुधार प्रारंभ होने की तिथि :	28 / 12 / 2022 (11.55 PM)
आवेदन में त्रुटि सुधार होने की अंतिम तिथि :	30 / 12 / 2022 (11.55 PM)
ऑनलाईन परीक्षा की दिनांक :	**बाद में अधिसूचित की जावेगी।**

नोट– अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रकिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

निम्नलिखित पद पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों (भारतीय नागरिक) से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

(एक)–नियमित पद की श्रेणीवार संख्या :–

Name of post	Category				Total Post
	UR	OBC	SC	ST	
Junior Judicial Assistant	21 (PH-2)	4	7	8	40 (PH-2)

*उपरोक्त पद की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(दो)–पदनाम, वेतनमान, शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें तथा आयु सीमा:–

High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, general conditions of services, conduct, classification, control and appeal) Rules, 2017 की "अनुसूची–एक" के "कॉलम क्र0–5, 6 & 7" के अनुसार निम्नानुसार है:–

पदनाम एवं वेतनमान	शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता	आयु सीमा दिनांक–01.01.2022 तक
Junior Judicial Assistant 5200–20200+ग्रेड पे 1900/–	1. Graduate from any recognized University. 2. Passed "Typewriting Examination in English and Hindi Languages from any recognized Board of Shorthand and Typerwriting Examination or Valid CPCT Score Card from Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information & Technology (MAP-IT). 3. 01 Year Diploma in Computer Application from the institution recognized by the Government of Madhya Pradesh	18-35 वर्ष

(तीन)–संबंधित पद की योग्यता हेतु टीप :–

1. उपरोक्तानुसार दर्शित अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक C3-07/2015/1/3, भोपाल दिनांक–18.08.2015 के अनुपालन में एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा के अतिरिक्त निम्नलिखित डिग्रीयों को अर्ह माना गया है:–
   I. बी.ई. (सी.एस.ई. / आई.टी.) / एम.सी.ए. / बी.सी.ए. / एम.एस.सी. (आई.टी. / सी.एस.) / बी.एस.सी.(आई.टी. / सी.एस.) एम.टेक / एम.ई. इत्यादि
   II. ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस / कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि।
   III. बी.एस.सी. / बी.कॉम. / डिग्रीयां जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।
3. मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन क्रमांक–एफ 14–7 / 2016 / 41–2 भोपाल दिनांक–23.03.2021 के अनुपालन में कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test-CPCT) प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधी प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 07 वर्ष निर्धारित की गई है।

(चार)–आरक्षण संबंधी टीप:–

म.प्र. राज्य के बाहर के सभी आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। केवल म.प्र. के मूल निवासी आवेदन पत्र में तद्नुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।

(पांच)–नियम–2017 के अनुसार चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अर्हता निम्नानुसार होंगी–

1. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो।
2. कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी / पति हैं, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
3. जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, जैसा कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 में स्पष्ट किया हुआ है।

   स्पष्टीकरण–

   (अ) दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार को नियुक्ति के लिय अयोग्य नहीं माना जाएगा, जहां पहले से ही एक संतान होने के बाद के प्रसव में एक से अधिक संतान पैदा हुई हो।

(ब) दिनांक–26.01.2001 से 280 दिनों के भीतर जन्मी संतान को अयोग्यता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस संबंध में कृपया मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट याचिका 5069/2002 (श्री ओझीलाल गोण्ड विरूद्ध म0प्र0 शासन) के प्रकाश में दिनांक–07.11.2003 को पारित न्याय दृष्टांत का अवलोकन करें।

4. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया हो।

बशर्ते, अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, नहीं प्रदान करने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

5. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अयोग्य घोषित करा देगा।

6. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह :–

(अ) राज्य या केन्द्र शासन द्वारा गैरकानूनी/अवैध घोषित किये गये किसी भी संस्था/निकाय का सदस्य हो अथवा विज्ञापन के प्रकाशन की दिनांक तक सदस्य हो (जो भी स्थिती हो)

अथवा

(ब) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों या कार्यक्रमों में भाग लेने व जुड़ने से दोषी पाया गया हो :–

एक–जिसका ध्येय भारत के संविधान को क्षति पहुंचाने का रहा हो,

दो– जिसका ध्येय संगठित होकर विधि की अवज्ञा या भंग कर हिंसा कारित करना हो,

तीन– जो भारत की संप्रभुता व खण्डता या राज्य की सुरक्षा के हितों पर पूर्वाग्रह कारित करता हो,

चार–जो धर्म, वंश, भाषा, जाति या संप्रदाय के आधार पर विभिन्न वर्गों के मध्य शत्रुता या घृणा की भावना को प्रोत्साहित करता हो।

अथवा

(स) केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय अथवा किसी भी न्यायालय द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।

अथवा

(द) अभ्यर्थी को केन्द्रीय या संघ या लोक सेवा आयोग या स्थानीय निकाय या किसी भी न्यायालय द्वारा किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से अनर्हरित या अयोग्य किया गया हो।

अथवा

(ई) जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।

(छः)– अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी :–

(1) परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। अभ्यर्थी को परीक्षा में मूल फोटो परिचय–पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय–पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।

(2) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, म0प्र0 उच्च न्यायालय को होगा।

(3) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है, या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(4) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई भी दस्तावेज (उत्तीर्ण होने का) संलग्न नहीं करता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(5) ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई समस्त त्रुटियों के सुधार हेतु ऑनलाईन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् 03 दिन का समय प्रदान किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाईन फार्म में त्रुटि की है, वे उक्त त्रुटि को सुधार सकते है (यदि वह त्रुटि अनुज्ञेय है तो)। तिथि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा तथा उपरोक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें– समयावधि पश्चात् कि ऑनलाईन फार्म में भरी गई जानकारियों में हुई त्रुटि का सुधार नहीं होगा तथा संज्ञान में आने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी, अतः उक्त जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरें।

(6) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जा सकेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

(सात)–अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :–

(1) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या

(2) प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या

(3) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

(4) चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

(5) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(6) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(7) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(8) आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो।

(9) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।

(10) यदि वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है (या) उपयोग करने का प्रयास करता है (या) परिसर के भीतर शोर–शराबा अथवा धक्का मुक्की करता है (या) ऑनलाइन परीक्षा के कक्ष/हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है (या) कम्प्यूटर अथवा किसी उपकरण अथवा उससे जुड़े परिधीय (या) किसी फर्नीचर को कोई नुकसान पहुंचाता है (या) किसी परीक्षा केंद्र के भवन को हानि पहुंचाता है (या) परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार से बात करता है (या) अन्य उम्मीदवारों की कम्प्यूटर स्क्रीन में झाँकता है इत्यादि।

(11) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री, मोबाइल फोन, पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण/कैलकुलेटर/घड़ी/स्मार्ट वॉच रखना प्रतिबंधित हैं और परिसर के मुख्य द्वार के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अभ्यर्थिता को रद्द कर सकेगा और अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित करने की कार्रवाई की जा सकेगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध शामिल हो सकता है।

(12) अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो जो आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित किया गया है या किया जाता है।

खण्ड "ब"

(क)– आवेदन–शुल्क :–

श्रेणी	परीक्षा शुल्क (अ)	सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क (ब)	योग (अ)+(ब)
अनारक्षित एवं/अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु (दिव्यांग को छोड़कर)	**₹ 200/–**	**₹ 577.02/–**	**₹ 777.02/–**
आरक्षित वर्ग (केवल म.प्र. के मूल निवासी) एवं/अथवा **दिव्यांग** आवेदकों हेतु	**₹ 0/–**	**₹ 577.02/–**	**₹ 577.02/–**

नोट :– (1) उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन

किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजेक्शन नियत समय के भीतर सेवा प्रदाता के पक्ष पर सफलतापूर्वक हो चुका हो।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं, तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(ख)–ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :–

1. आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भरेंगे।

आवेदन पत्र म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाईट में जाकर "Recruitment/Result" की बटन में क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् **"Click on-Online Application Forms/Admit Cards"** पर Click करें जिसमें उक्त पद की भर्ती का ऑनलाईन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 04 लिंक उपलब्ध होंगी, जो कि निम्नानुसार है:–

I. Advertisement
II. Registrartion
III. Application
IV. Edit Application

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई0–मेल आई0डी0 में User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई जानकारी व विवरण सही व सत्य है, बाद में त्रुटि–सुधार के लिये पृथक से कोई अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

नोट :–1. अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि ऑनलाईन फार्म के रजिस्ट्रेशन पेज में वांछित जानकारियों को ध्यान से भरें तथा रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व एक बार पुनः चैक कर लें।

3. कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (022–61306271) पर तत्काल सम्पर्क करें।

नोटः—यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

खण्ड–"स"

(क)–परीक्षा की योजना :–

उक्त पद की भर्ती केवल एक (01) चरण में संपन्न होगी, भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की ऑनलाईन परीक्षा आयोजित कराई जावेगी, जो 100 अंक की होगी।

(ख)–प्रवेश पत्र :– ऑनलाईन परीक्षा के प्रवेश–पत्र सेवा प्रदाता (Service Provider) के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध कराये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी। प्रवेश पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति–आवश्यक है, व्यतिक्रम में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

(ग)–परीक्षा केन्द्र

1. ऑनलाईन परीक्षा जबलपुर में आयोजित होगी, परंतु विशेष परिस्थितियों में भोपाल, सतना एवं उज्जैन (चारों जिलों अथवा आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए दो/तीन जिलों) के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा सकेगी। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा सत्र (Shift) के बारे में सेवा प्रदाता (Service Provider) का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

2. यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा सत्र (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म0प्र0 उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(घ)–ऑनलाईन परीक्षा का पाठ्यक्रम –

Post	Subject	Marks	Time
Junior Judicial Assistant	Hindi Typing (300 words)	40	10 Minutes
	English Typing (350 words)	40	10 Minutes
	General English & Computer Knowledge	20	20 Minutes
	Total	100	40 Minutes

नोट :–

(1) ऑनलाईन परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न अंग्रेजी भाषा में ही पूछे जावेंगे।

(2) **Mock Test (मॉक टेस्ट)**– आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न–पत्र को हल करने एवं ऑनलाईन टाईपिंग की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट www. mphc.gov.in पर Mock Test (मॉक टेस्ट) परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(3) ऑनलाईन टाईपिंग परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 10 मिनिट में लगभग 300 शब्दों का ऑनलाईन हिन्दी टाईपिंग मैटर एवं 10 मिनिट में लगभग 350 शब्दों का ऑनलाईन अंग्रेजी टाईपिंग मैटर टाईप करना होगा, जिसके लिए 40–40 अंक निर्धारित हैं। इसके पश्चात् सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर ज्ञान का ऑनलाईन प्रश्नपत्र जो कि 20 अंकों का होगा, हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षण 40 मिनिट का होगा।

(4) परीक्षा में आयोजित ऑनलाईन हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का मूल्यांकन सी0पी0सी0टी0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा एवं टाईपिंग की गति (NWPM) एवं शुद्धता (Accuracy) के आधार पर अंकों की गणना करते हुए उसमें से प्रत्येक छूटे शब्दों एवं प्रत्येक त्रुटि पर 0.50 अंक काटे जावेंगे साथ ही प्रत्येक बैक–स्पेस पर 0.10 अंक भी काटे जावेंगे, तत्पश्चात् सामान्य अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर टेस्ट के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जावेगी।

(5) ऑनलाईन टाईपिंग का मूल्यांकन सी0पी0सी0टी0 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा किया जावेगा, अतः उक्त संबंध में उच्च न्यायालय में किसी भी प्रकार का पत्राचार/ई0मेल/अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(6) समस्त अभ्यर्थियों का हिन्दी टाईपिंग परीक्षण रेमिंगटन गेल (REMINGTON GAIL) मे ही आयोजित किया जावेगा। टाईपिंग कम्प्यूटर में अनरिस्ट्रिक्टेड मोड मे की जावेगी।

(7) ऑनलाईन परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर एवं Key-Board प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी को अपना Key-Board व फर्नीचर जैसे कुर्सी/स्टूल लाने की अनुमति नहीं होगी।

(8) दिव्यांग आवेदकों के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालीयन ज्ञापन क्रमांक एफ नं. –34–02/2015–डी डी–III दिनांक–29.08.2018 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्र0–273/2021 (विकास कुमार वि0 यू0पी0एस0सी0 एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 का पालन यथासंभव किया जावेगा।

(आठ) – **<u>आवश्यक सूचना</u>** :–

(1) आवेदक को अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा उसी दिन या अन्य दिन द्वितीय सत्र मे होती है तो भी परीक्षा देने की अनुमति नही दी जावेगी।

(3) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाईस, केलकुलेटर, मोबाईल, लिस्निंग डिवाईस, रिकार्डिंग डिवाईस, अलार्म वॉच, स्मार्ट वॉच, आदि इलेक्ट्रानिक गैजेट ले जाना प्रतिबंधित है। आवेदक अपने साथ सिर्फ प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, पेन एवं पेन्सिल ले जा सकेगा।

(4) अभ्यर्थी यदि कोई आवश्यक मेडीकल उपकरण या वस्तु का उपयोग करता है तो उसकी सूचना परीक्षार्थी को परीक्षा के पूर्व परीक्षा सेल को देना होगी।

(5) परीक्षार्थी ऑनलाईन परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा C.C.T.V. कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकार्डिंग की जावेगी।

(नौ)–: ऑनलाईन परीक्षा का परिणाम :–

1. उक्त पद की ऑनलाईन परीक्षा में आने वाले 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशयित है, उसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर परीक्षा के पश्चात् इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जावेगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति/स्पष्टीकरण देना चाहता है, तो वह आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के सात (07) दिनों के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट अथवा उचित माध्यम से निर्धारित प्रारूप में एवं स्त्रोत/दस्तावेज इत्यादि (जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता है) की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित प्रेषित/जमा करेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उसे नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। इसी प्रकार निर्धारित प्रारूप में अप्राप्त व स्त्रोत दस्तावेजों के अभाव में प्राप्त आपत्तियों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

2. ऑनलाईन परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर तैयार किया जावेगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करना आवश्यक है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने वर्ग में न्यूनतम अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे तदोपरांत ही मेरिट के आधार पर उनके चयन पर विचार किया जावेगा।

(दस)–: आवेदन पत्र एवं दस्तावेज:–

1. ऑनलाईन परीक्षा में श्रेणीवार प्रत्येक पद हेतु 1:2 (प्रतिपद के लिये लगभग 02 अभ्यर्थी व समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों से एक तिथि निर्धारित करते हुए) आवेदन पत्र व दस्तावेज मंगाये जावेंगे एवं इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप नहीं पाये जावेंगे, तो उन्हें अपात्र कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी भले ही वे अभ्यर्थी मेरिट के अनुसार चयनित किये जाने योग्य क्यों न हो, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

2. आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी केटेगरी सहित **लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु**

आवेदन–पत्र भेजा जा रहा है, अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। **आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट अथवा उचित माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता संबंधित पद में स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।** उक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन अथवा ई0मेल पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।

3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति–आवश्यक है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज (समस्त अथवा कोई भी एक दस्तावेज) भूलवश संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने एवं चयन सूची में स्थान दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो।

(ग्यारह): –अंतिम परिणाम :–

प्राप्त आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण कर श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी, जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावेगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दशा में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता देते हुए सूची तैयार की जावेगी।

नोट– सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि आवश्यक समझा जावे, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान् त्रुटि ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

(बारह)

अंतिम परिणाम सूची प्रकाशित होने के बाद ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/स्कोर कार्ड के माध्यम से म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जावेंगें, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करना होगा।

टीप:–1.ऑनलाईन परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये **न्यूनतम अंक** के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और नस्तीबद्ध कर दिये जायेंगे।

2. परीक्षा के किसी भी चरण में अंकों की पुनः जांच या उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा के किसी भी चरण में या इसके बाद पुनः परीक्षा की अनुमति

नहीं होगी। अतः इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा बिना कोई कारण बताए नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

(तेरह)– प्रतीक्षा सूची (Waiting List) :–

प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र0 F6–07/2012/एक(1), भोपाल, दिनांक–14, जुलाई, 2016 के अनुसार मान्य होगी।

(चौदह)–नियुक्ति संबंधी टीपः–

(1) चयनित आवेदकों की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी, जो कि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।

(2) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से स्वयं के व्यय से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

(पंद्रह)–यात्रा व्यय का भुगतान–

ऑनलाईन परीक्षा हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क लिया जा रहा है, इस कारण परीक्षा मे उपस्थित होने वाले किसी भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सोलह):–शुद्धिपत्रः–

उक्त रिक्त पद की भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन "शुद्धिपत्र" के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट पर प्रकाशित "शुद्धिपत्र" को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। "शुद्धिपत्र" की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

(सत्रह):– सूचना के अधिकार के तहत जानकारीः–

अंतिम परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपनी उत्तरपुस्तिकाऐं उच्च न्यायालय की वेबसाईट से लॉग–इन कर अंतिम चयन सूची जारी होने की तिथि से 03 माह तक प्राप्त कर सकता है। ऑनलाईन परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन अंतिम परिणाम घोषित होने के पहले पोषणीय नहीं होगा।

(अठारह):– विनष्टीकरणः–

परीक्षा में प्रयुक्त सभी आवेदन–पत्रो (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

(उन्नीस)–कोविड–19 महामारी से संबंधित निर्देश :–

ऑनलाइन परीक्षा के पूर्व अथवा परीक्षा के समय अभ्यर्थी को तत्समय प्रभावशील सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा प्रवेश पत्र अथवा नोटिस के माध्यम परीक्षा सेल द्वारा कोविड–19 महामारी से संबंधित विशेष निर्देश जारी किये जा सकते हैं जिनका पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा सेल द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

2.12.2022

रजिस्ट्रार जनरल

* * * *